



**इलिनॉय राज्य
मानवाधिकार आयोग प्रशासनिक विधि अनुभाग (ह्यूमन
राइट्स कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेक्शन)**

न्यायिक निपटान सम्मेलनों के लिए जाँचसूची

- पक्षों ने निर्धारित प्रशासनिक विधि न्यायाधीश (एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज या “ALJ”) के समक्ष न्यायिक निपटान सम्मेलन का संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत किया है।
- पक्षगण न्यायिक निपटान सम्मेलन का समय निर्धारित करने के उद्देश्य से न्यायिक निपटान सम्मेलन संचालित करने हेतु निर्धारित ALJ (जिसे “निपटारी ALJ” कहा गया है) के साथ कार्य कर चुके हैं।
- न्यायिक निपटान सम्मेलन से कम-से-कम चौदह (14) दिन पहले, वादी ने प्रतिवादी को एक संक्षिप्त “निपटान माँग पत्र” प्रदान कर दिया है। “निपटान माँग पत्र” वादी की दृष्टि से प्रकरण का वर्णन करता है और उस कुल धनराशि की एक “वास्तविकतावादी” माँग रखता है जिसे वादी प्रकरण के निपटारे के लिए स्वीकारेगा। वादी की “माँग” उस कुल राशि से कम है जिसकी वादी अपेक्षा करता है या मुकदमे में जीतने की आशा रखता है।
- न्यायिक निपटान सम्मेलन से कम-से-कम सात (7) दिन पहले, प्रतिवादी ने वादी को एक संक्षिप्त “प्रतिक्रिया पत्र” प्रदान कर दिया है। “प्रतिक्रिया पत्र” प्रतिवादी की दृष्टि से प्रकरण का वर्णन करता है और उसमें वादी की माँग का एक वास्तविकतावादी प्रतिप्रस्ताव है। प्रतिवादी का प्रतिप्रस्ताव शून्य (या कोई अन्य *नगण्य* राशि) से अधिक है।
- न्यायिक निपटान सम्मेलन से कम-से-कम सात (7) दिन पहले, पक्षों ने निपटारी ALJ को अपने-अपने निपटान पत्रों की प्रतियाँ प्रदान कर दी हैं। ये पत्र मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के पास दायर नहीं किए जाने चाहिए।
- प्रत्येक पक्ष ने विपक्षी के निपटान पत्र की समीक्षा कर ली है और न्यायिक निपटान सम्मेलन में प्रकरण पर चर्चा के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है।
- प्रत्येक पक्ष ने “पूर्ण निपटान प्राधिकार” रखने वाले एक व्यक्ति से न्यायिक निपटान सम्मेलन में भाग दिलवाने की व्यवस्था कर ली है। “पूर्ण निपटान प्राधिकार” का अर्थ जो निपटान सम्मेलन में उपस्थित नहीं हैं उन अन्य लोगों से परामर्श की आवश्यकता के बिना, समझौता वार्ता के ज़रिए एक अंतिम एवं बाध्यकारी करार पर सहमत होने के प्राधिकार से है।
- प्रत्येक पक्ष, पक्षों और निपटारी ALJ द्वारा चयनित दिनांक पर न्यायिक निपटान सम्मेलन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यदि नहीं—या यदि किसी पक्ष को किसी ऐसे टकराव की प्रत्याशा है या का अनुभव होता है जो उस पक्ष को न्यायिक निपटान सम्मेलन में भाग लेने से रोकेगा—तो वह पक्ष शीघ्रतम संभव अवसर पर उस टकराव को निपटारी ALJ के ध्यान में ले आया है।